फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री पदमाराम पुत्र श्री धन्नालाल बलाई नि. पलासियों का बाड़िया, सारोठ तहसील, भीम जिला राजसमंद – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 12/2022**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 25.07.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम से जरिये पत्र कमांकः सू.अ. /2022/ 637 दिनांक 20.07.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना वर्ष 1980 से 1985 तक की कार्यालय में उपलब्ध आवंटन रजिस्टर की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा अपीलार्थी को रसीदन उपलब्ध करवादी गई है। स्थायी भूमि आवंटन/निजी वन विकास आवंटन के रजिस्टर कार्यालय में नहीं मिलने के कारण तहसीलदार, भीम को उनके कार्यालय में तलाश करवाई जा रही है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से चाही गई सूचना में से कार्यालय में उपलब्ध आवंटन रजिस्टर वर्ष 1980–1985 तक की छाया प्रति लोक सूचना अधिकारी, भीम द्वारा पत्रांकः सू.अ./2022/628 दिनांक 19.7.2022 से अपीलार्थी को रसीदन. उपलब्ध करवाई जा चुकी है। स्थायी भूमि आवंटन/निजी वन विकास आवंटन के रजिस्टर निरीक्षण करने पर वर्ष 1980–1985 तक आवंटन रजिस्टर कार्यालय में नहीं मिलने से तलाश करवाई जा रही है। ग्राम सारोठ से भूमि आवंटन संबंधि पुराना रिकार्ड होने से अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम के कार्यालय में उपस्थित होकर रिकार्ड का अवलोकन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त कर सकता है। प्रकरण में उपलब्ध सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा देने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** न्यायालय जिला कलक्टर **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	